concerned agencies of the Central Government and according to information avaliable, are presently resolving certain issues relating to the Power Purchase Agreement with Andhra Pradesh State Electricity Board and negotiating with the financial institutions and foreign lenders for financing the project. The project is scheduled for commissioning after 44 months from the date of financial closure by the promoters.

Cut in Power to States by NTPC

253. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of POWER be pleased to refer to answer to Starred Question 29 given in the Rajya Sabha dated 1st December, 1998 and state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report titled "NTPC CUT SUPPLY TO STATES FLOUTING NORMS CENTRAL BODY CENSURES CORPORATION" as appeared in the Statesman (Calcutta) dated 24 January, 1999;

(b) whether C.E.A. has sent any communication to N.T.P.C as reported;

(c) if so, the exact advice/direction from C.E.A. to N.T.P.C. on the norms followed while imposing power cut on W.B.S.E.B. and D.V.C. in October, 1998; and

(d) the action taken so far on the advice?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGLAM): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Since the outstanding dues from the Eastern Region was highest in terms of months of billing, NTPC gave notices to BSEB, Gridco (Orissa), WBSEB and DVC for regulation of power supply. While Gridco, and BSEB responded by ennancing LCs and making partial payments, WBSEB did not take any action to liquidate its arrears. According, NTPC resorted to regulation of power supply from its Farakka STPS on 11th October, 1998, after giving advance notice to EREB & ERLDC. NTPC has received a communication from CEA on 31.12.1998 on a busbar tripping at Farakka, advising them to take precautionary measures for carrying out protection testing/maintenance work affecting the grid in future. NTPC has taken due notice of CEA's advice.

तापीय, पन और परमाणु विद्युत का उत्पादन

254. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1998 के अन्त तक तापीय (थर्मल), पन (हाइड्रो) और परमाणु (न्यूक्लियर) विद्युत के उत्पादन की स्थापित क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत उत्पादन का स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता के कितने प्रतिशत का उपयोग किया गया है; और

(घ) स्थापित क्षमता के क्षमता से कम उपयोग के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि के संबंध में क्या ब्यौरा है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम): (क) 31.12.98 की स्थितिनुसार अधिष्ठापित क्षमता निम्नवत है:—

जल विद्युत	—	22083.08 मे०वा०
ताप विद्युत	—	65139.98 मे०वा०
न्यूक्लीय	—	2225.00 मे०वा०
पवन	—	968.12 मे०वा०
कुल		90416.18 मे०वा०

(ख) और (ग) जल और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का क्षमता समुपयोजन समय-समय पर जल और गैस की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ताप विद्युत संयंत्रों के संयंत्र भार अनुपात की उपलब्धि दिसम्बर, 1998 में 68.4% लक्ष्य की तुलना में 66.4% था दिसम्बर, 1998 माह के दौरान ऊर्जा उत्पादन का लक्षित कार्यक्रम और उपलब्धियां निम्नवत: है:—

(आंकड़े मि०यू० में)

	लक्ष्य	उपलब्धियां	%
जल विद्युत	5536	6100	110.2
ताप विद्युत	32262	31180	96.5
न्यूक्लीय	938	1168	124.5

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान भारी वर्षा के कारण प्रणाली मांग कम थी। इसके अतिरिक्त जल विद्युत और न्यूक्लीय क्षेत्रों ने कार्यक्रम से अधिक उत्पादन किया है। इसके परिणामस्वरूप ताप विद्युत स्टेशन को उत्पादन रोकना पड़ा। इस कम क्षमता समुपयोजन के कारण ताप विद्युत की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई थी।

रक्षा कार्मियों की विधवाओं के लिए रोजगार के अवसर

255. **श्री लाला लाजपत राय:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा कार्मियों की विधवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई नीतिगत योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं और इसे किस तरह लागू किया गया है; और

(घ) अब तक उपलब्ध कराये गये रोजगार के अवसरों और राज्य-वार उपलब्ध कराये जाने वाले कुल अवसरों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री **(श्री जार्ज फर्नांडीज):** (क) से (घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सेवा के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने के लिए अनुदेश जारी किए हुए हैं। समूह 'ग' और 'घ' के किन्हीं भी पदों में सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के 5% तक पदों पर ऐसी नियुक्तियां की जा सकती हैं। इसी प्रावधान के तहत सेवा के दौरान मरने वाले रक्षा सेवा कार्मियों की विधवाओं/आश्रितों को भी सेना मुख्यालय के सिविलियन ग्रुप 'ग' और 'घ' पदों पर होने वाली रिक्तियों पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार किया जाता है।

रोजगार सहायता प्राप्त करने के लिए दिवंगत रक्षा सेवा कार्मिक की विधवा को अपना नाम संबंधित अभिलेख कार्यालय में दर्ज करवाना होता है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां, अभिलेख कार्यालयों द्वारा इस प्रयोजनार्थ रखे गए पैनल में से, रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

विधवाओं को दिए गए रोजगार से संबंधित सूचना को केन्द्रीयकृत रूप से मानीटर नहीं किया जाता।

Joint ventures between NTPC and CPIC

256. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that National Thermal Power Corporation (NTPC) has received joint venture proposals from China Power Investment Corporation;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any of these proposed power plants would be located in Andhra Pradesh; and

(d) if so, the details thereof?